बिहार सरकार
सूचना एंव जन–सम्पर्क विभाग

।।अधिसूचना।।

अधि०सं०–विज्ञा०(4)01–05 / 2026..332.....सू०ज०स०वि०, बिहार, पटना, दिनांक 20|08|2026

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है :–

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली–2026

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।–(1) यह नियमावली बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. नियमावली, 2024 की नियम–8(vi) में संशोधन।–

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 के नियम–8(vi) में वर्णित "न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित होने पर ही उसे" के स्थान पर "श्रेणी के अनुसार नियम–11, 11(A) एवं 11(B) में वर्णित प्रावधान के अनुसार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. नियम–11 में संशोधन।–

उक्त नियमावली के नियम–11 में प्रदर्शन एवं भुगतान के संबंध में निर्धारित विवरणी के अंतिम कॉलम में वर्णित प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाएंगे :–

(क) श्रेणी–A के अंतिम कॉलम में प्रतिस्थापन : "वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर ₹10,000 / –(दस हजार) की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो कुल अधिकतम देय राशि ₹1,00,000 / –(एक लाख) होगी।"

(ख) श्रेणी–B के अंतिम कॉलम में प्रतिस्थापन : "वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 50 हजार व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 हजार व्यूज पर ₹10,000 / –(दस हजार) की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो कुल अधिकतम देय राशि ₹90,000 / –(नब्बे हजार) होगी।"

5. **नियम–11 एवं 11(A) के विवरणी में संशोधन।–**

नियम–11 एवं 11(A) में भुगतान हेतु न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या से संबंधित कॉलम संख्या–05 (भुगतान के लिए न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या Facebook अथवा Instagram अथवा YouTube के लिए) एवं 06 (भुगतान के लिए न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या X के लिए) को विलोपित किया जाएगा।

6. **नया नियम–14(A), 14(B) एवं 14(C) का अंतः स्थापन।–**

उक्त नियमावली में नियम–14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जायेगा।

(क) "14(A)-सूचीबद्ध सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल के फॉलोअर्स की संख्या की जाँच विभाग द्वारा प्रत्येक छः माह में की जायेगी। निर्धारित मानदंडों के अनुसार फॉलोअर्स की संख्या कम पाये जाने पर उक्त सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा उनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार नियमावली में वर्णित श्रेणी के आधार पर ही विज्ञापन निर्गत किए जाएंगे।"

(ख) "14(B)- विशेष परिस्थितियों में विज्ञापन की उपयोगिता एवं कंटेन्ट की गुणवत्ता के आधार पर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग आवश्यकतानुसार किसी भी गैर–सूचीबद्ध प्रतिष्ठित सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को उनके सब्स्क्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर उपयुक्त श्रेणी (नियमावली के कंडिका–10(A) एवं 10 (B के आलोक में) की स्वीकृत अधिकतम धन राशि के अंतर्गत, विभागीय समिति की अनुशंसा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन के उपरांत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापन जारी कर सकेगा।"

(ग) "14(C)-उक्त नियमावली में किसी भी उपबंध में अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति में अपेक्षित स्पष्टीकरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/9/25

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव